कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 1759 /14 –1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 21/11 2023।

सेवा में,

प्रबन्धक,
टोरेंट गैस प्राईवेट लिमिटेड,
प्रथम तल, प्राईडल स्कावयर बिल्डिंग,
मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

विषय :– जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–चन्दौसी मार्ग एन0एच0–509 (पुराना एन0एच0–93) किमी0 चैनेज 192.230 से 197.450 तक (5130 मी0) बांयी पटरी पर एवं बदॉयू–चन्दौसी मार्ग (एस0एच0–43) किमी0 चैनेज 42.000 से 44.170 तक बांयी पटरी (2170 मी0) 4 इंच प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.438 हे0 क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाईपलाईन बिछाये जाने हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Pipeline/152159/2022)

सन्दर्भ :– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ की पत्र संख्या पी–358/81–2–2022–800(393)/2022 दिनॉक 12.01.2023।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र जोकि अधोहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.01.2023 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। उक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 01 से 33 तक के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रॉक 2501/11 सी दिनॉक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या तथा मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र संख्या 384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनॉक 14.09.2015 में दिये गये निर्देशानुसार वॉछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण–पत्र 05 प्रतियों में (मूल में) यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके:–

(1) Legal status of the forest land shall be remain unchanged.

(2) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

(3) The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

(4) User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provissions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

(5) The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

(6) No labour camps shall be established on the forest land.

(7) Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Developement Corporation or any other legal source of alternate fuel.

(8) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less,

(9) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

(10) Violation of any of there condition will amut to violation of Forest(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018,

(11) Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and developement of forest & wildlife.

(12) The compliance report shall be uploaded on e-portal(https:/parivesh.nic.in/)

(13) पाईप लाईन/टेलीफोन लाईन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(14) पाईप लाईन/टेलीफोन लाईन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की गहराई 2.00 मी0 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।

(15) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।

(16) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(17) वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(18) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(19) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार के शासनादेश दिनॉक–07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(21) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षत स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(23) भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0(पी0टी0), दिनॉक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनॉक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।

(24) यदि प्रश्नगत भूमि संचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रॉक 11–9/98–एफ0सी0, दिनॉक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shpshp) फाईल में दर्शाया गया हो।

(26) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(27) नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

(28) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा(वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(29) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(30) उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।

(31) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनॉक 05.02.2009 के कम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश संख्या 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार **शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 धनराशि रूपये 419508.00 (रूपये चार लाख उन्नीस हजार पॉच सौ आठ मात्र)** एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण, (Compensatory Afforestation Found Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(32) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में प्रस्तावित स्थल (Row) से आच्छादित होने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(33) प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

<u>संख्या– / उक्तदिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि–</u>मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रॉक 11सी–1313 लखनऊ के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

<u>प्रतिलिपि–</u> वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरदाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या–पी-358/81-2-2022-800(393)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी 2023

विषय- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन0एच0-509 (पुराना एन0एच0-93) किमी0 चैनेज 192.230 से 197.450 तक (5130 मी0) बांयी पटरी एवं बदॉयू-चन्दौसी मार्ग (एस0एच0-43) किमी0 चैनेज 42.000 से 44.170 तक बांयी पटरी (2170 मी0) 4" प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.438 हे0 क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाईपलाईन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/152159/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1702/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/152159/2022 दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन0एच0-509 (पुराना एन0एच0-93) किमी0 चैनेज 192.230 से 197.450 तक (5130 मी0) बांयी पटरी एवं बदॉयू-चन्दौसी मार्ग (एस0एच0-43) किमी0 चैनेज 42.000 से 44.170 तक बांयी पटरी (2170 मी0) 4" प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.438 हे0 क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाईपलाईन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती हैः-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservaton) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:/ parivesh.nic.in/).

16/1/2023

13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shpshp) फाइल में दर्शाया गया हो।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	नोडल अधिकारी,उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में

	कोई परिवर्तन आवश्[illegible] क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत [illegible] होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त [illegible], पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] के अधीन होगी।
31	प्रस्तावक [illegible] न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत [illegible] के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के [illegible] आदेश दिनांक 06-01-2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध [illegible] एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना [illegible] Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध [illegible]
[illegible]	[illegible] सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में प्रस्तावित स्थल Row से [illegible] प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
[illegible]	[illegible] स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की [illegible] भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य [illegible] आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 11-01-2023 14:06:49
Reason: Approved

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

(3)- जिलाधिकारी, सम्भल।

(4)- प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग सम्भल।

(5)- मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 मुरादाबाद।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–11सी–1313/FP/UP/Pipeline/152159/2022 लखनऊ, दिनांक: जनवरी 16, 2023

प्रतिलिपि:– 1 वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11–सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित समेकित कर 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:– 2. प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2501/11 सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेखों एवं इस कार्यालय के पत्रांक–2657/11 सी, दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संस्तुति सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से 03 प्रतियों में समेकित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:– 3. मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड 1 फ्लोर, पराईडल स्कवायर बिल्डिंग, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।